2. पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार/युवा उद्यमी/कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा.

3. एमएसएमई विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगाा. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य (ब्याज अनुदान वितरण) निर्धारित किये जायेंगे, भौतिक लक्ष्य केवल सांकेतिक होंगे.

4. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा. इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी.

5. योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 5-1-2019-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निर्णय लिया गया कि :—

1. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति, 2021 के परिशिष्ट-1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 20 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

"सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई (परंतु ऐसा सॉर्टेक्स प्लांट (ग्रेडिंग+सफाई सहित) जो ऐसी धान मिलिंग इकाई, जो मुख्यत: धान मिलिंग का कार्य करती है, के परिसर में स्थापित किया गया हो, को छोड़कर)"

2. नीति में उक्त संशोधन के दृष्टिगत मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के इस आशय तक संशोधित माना जावेगा.

3. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (योजना एवं सांख्यिकी), जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्र.-जि.यो.सां.2021-2824-8224.—माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2020 को ग्राम डगडौआ में जनजाति गौरव समारोह कार्यक्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल का नाम परिवर्तित करते हुए "बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल" किये जाने की घोषणा की गई.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये गये घोषणा के परिपालन में, दिनांक 22 जुलाई 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री रामखेलावन पटेल जी, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं अध्यक्ष, जिला योजना समिति शहडोल की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2021 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 05 में सर्वसम्मति से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल का नााम परिवर्तित कर "बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल" किये जाने का निर्णय लिया गया.

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-1-1, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 के परिपेक्ष्य में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2021 में नाम परिवर्तन करने हेतु निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार है:—

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का वर्तमान नाम	नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम रोमन लिपि में	नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम देवनागरी लिपि में
(1)	(2)	(3)
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म. प्र.)	BIRSA MUNDA GOVT. MEDICAL COLLEGE, SHAHDOL (M. P.)	बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म. प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैदय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.